न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 32/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक–14.06.2021

1. राजेन्द्र पिता मांगीलाल जी जाति जाट आयु 23 साल निवासी फलवा
2. प्रकाश पिता मांगीलाल जी जाति जाट आयु 20 साल निवासी फलवा
3. मुन्नी बाई पत्नी मांगीलाल जी जाट आयु 45 साल निवासी फलवा
4. रीना पुत्री मांगीलाल जी जाति जाट आयु 19 साल सभी निवासीयान फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0

– प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भू सिंह पिता किशन सिंह जी जाति राजपूत आयु 60 साल निवासी तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. रंगलाल पिता भेरूलाल जी जाति जाट आयु 35 साल निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
3. नारायण पिता भेरूलाल जी जाति जाट आयु 45 साल निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0
4. तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा राज0।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा फलवा प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 176 की आराजी नं0 582 रकबा 0. 1600 हैक्टेयर, आराजी नं0 626 रकबा 0.6600 हैक्टैयर, आराजी नं0 627 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा फलवा प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता 176 की आराजी नं0 582 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नं0 626 रकबा 0.6600 हैक्टैयर, आराजी नं0 627 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.9900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official